प्रकरण संख्या 101/2024 राधाकिशन बनाम श्रीमती भंवरी देवी व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19.11.2024	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम अम्बेरी, तहसील बड़गांव में वाद पत्र की कलम संख्या 1 (क) वर्णित आराजी नंबर 458 से 460, 462 से 467, 495 कुल किता 10 रकबा 3.8000 हैक्टर भूमि स्थित है, जो राजस्व अभिलेखों में वादी के नाम 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के नाम 1/2 हिस्सा अनुसार अंकित है। इसी प्रकार कलम संख्या 1 (ख) वर्णित आराजी नंबर 444 से 447, 453, 456, 457, 468, 496 कुल किता 9 रकबा 2.0600 हैक्टर भूमि में वादी का 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 से 6 का 1/2 हिस्सा अंकित है। वाद पत्र की कलम संख्या 1 (क) वर्णित आराजीयात में 1/2 हिस्सा स्वर्गीय गेन्दीबाई पत्नी स्वर्गीय ऊंकारलाल जी पालीवाल दर्ज था। श्रीमती गेंदीबाई ने दिनांक 24.06.2019 को उक्त 1/2 हिस्से की वसीयत निष्पादित कर दिनांक 30.07.2019 को पंजीबद्ध करवा दिया। श्रीमती गेन्दीबाई का निधन दिनांक 16.02.2021 को हो गया, जिससे वाद पत्र की कलम संख्या 1 (क) वर्णित आराजियात के 1/2 हिस्से के वादी एक मात्र खातेदार होकर काबिज हैं। वादी का इसी भूमि पर मकान बना हुआ होकर निवास कर रहा है तथा काश्त करता चला आ रहा है। वाद पत्र की कलम संख्या 1 (ख) वर्णित आराजियात में वादी का 1/2 हिस्सा है, शेष 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 से 6 का है। उक्त समस्त आराजियात पर वादी का ही कब्जा काश्त रहा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 6 का विवाह होकर सभी अपनी ससुराल में रहती हैं एवं उनके द्वारा कभी भी काश्त नहीं की गयी। वाद पत्र की कलम संख्या 1 (क) वर्णित आराजियातमें प्रतिवादी संख्या 1 से 6 का नाम रूटीन में विरासत से दर्ज कर दिया गया है, जबकि उक्त भूमि की रजिस्टर्ड वसीयत खातेदार मृतक श्रीमती गेन्दीबाई द्वारा वादी के पक्ष में कर दिये जाने से वादी एक मात्र खातेदार काबिज है तथा वाद पत्र की कलम संख्या 1 (ख) वर्णित आ[illegible]का वादी एवं प्रतिवादी	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.12 11:23:52 IST
Reason: SelfAttested

संख्या 1 से 6 के मध्य 1/2, 1/2 हिस्से अनुसार नाप व सीमांकन से विभाजन किया जाना आवश्यक है। अतः वाद पत्र की कलम संख्या 1 (क) वर्णित आराजियात का एक मात्र वादी को खातेदार घोषित किया जावे तथा वाद पत्र की कलम संख्या 1 (ख) वर्णित आराजियात में वादी का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 6 का 1/2 हिस्से अनुसार नाम व सीमांकन से विभाजन किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के वाद का मुख्य आधार वसीयत है, जिसका श्रवणाधिकार राजस्व न्यायालय का नहीं होकर केवल दीवानी न्यायालय को है। वादी जब तक सक्षम सिविल न्यायालय से उक्त वसीयत को वेलिड घोषित नहीं करा लेता, तब तक उक्त वसीयत के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा राजस्व न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती। उन्होंने यह भी निवेदन किया कि स्वर्गीय गेन्दीबाई की 6 संताने थी तो वह इन संतानों को छोड़कर अन्य को वसीयत क्यों करेंगी, जिससे वसीयत संदिग्ध प्रकट होती है। इस कारण संदिग्ध वसीयत के आधार पर खातेदारी घोषणा का वाद राजस्व न्यायालय में मेन्टीनेबल नहीं है। अतः आदेश 7 नियम 11 जा. दी. प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादी का वाद इसी स्तर पर खारिज किया जावे।

उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब वादी ने प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मूलवाद कृषि भूमि के विभाजन हेतु प्रस्तुत किया गया है, जिसमें कुछ भूमि बाबत् घोषणा का अनुतोष चाहा गया है, जिसके आधार पर प्रतिवादी द्वारा खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादी ने वसीयत को कूटरचित व फर्जी बताया है, जिसका निस्तारण साक्ष्यों के आधार पर ही किया जा सकता है। अतः प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी. खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र पर उभयपक्षों की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 02.09.2024 से प्रतिवादी का आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का प्रार्थना पत्र अस्वीकार करते हुए वादी का वाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.12 11:23:52 IST
Reason: SelfAttested

विधि वर्जित होना मानकर खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 19.09.2024 को प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री संजय बोहरा उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 से 6 की ओर से अधिवक्ता श्री आलोक जैन उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 7 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए, जबकि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 8 की ओर से श्री दिलीप सुथार उपस्थित हुए। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री अरूण व्यास एवं श्री हनुमान प्रसाद उपस्थित हुए। अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा लिखित बहस भी प्रस्तुत की गयी, जो पत्रावली के रेकार्ड पर है। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने विधि की सीमाओं की सर्वथा अनदेखी करते हुए निर्णय पारित किया है, क्योंकि आदेश 7 नियम 11 जा.दी. की सीमाऐं हैं, जिसकी उपधारा 4 में ''जहां वाद पत्र के कथन से यह प्रतीत होता हो कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है'' तभी उसे निरस्त किया जा सकता है। घोषणा का आधार वसीयत है, जो पंजीकृत दस्तावेज है, जिसे कोई चुनौती दे तो उसे सक्षम न्यायालय में वाद करना होता है, जो रेस्पोन्डेन्ट ने नहीं किया है, उल्टे वसीयत को कूटरचित होना बताते हुए प्रतिदावा प्रस्तुत कर स्वयं के खातेदारी अधिकारों की घोषणा की मांग की है। जहां रेस्पोन्डेन्ट स्वयं न्यायालय के क्षेत्राधिकार को वसीयत की वैधता के संबंध में घोषणा करने में सक्षम मानते हुए प्रतिवाद पेश करें, तब उन्हें उसी प्रश्न पर आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के तहत न्यायालय के क्षेत्राधिकार का अभाव बाबत् विरोधाभाषी कथन करने का अधिकार नहीं है, वे अपने कथनों से विबंधित हैं। राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 242 में एक प्रक्रिया निर्धारित है कि सिविल न्यायालय में टीनेन्सी अधिकारों के संबंध में विनिश्चय आवश्यक हो तो उस प्रश्न की हद

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.12 11:23:52 IST
Reason: SelfAttested

तक राजस्व न्यायालय में मामला रेफर किया जा सकता है एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायलय द्वारा इस संबंध में यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि राजस्व न्यायालय में वाद में किसी सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का प्रश्न भी समाहित हो तो उस तनकी के संबंध में मामला सिविल न्यायालय को रेफर किया जा सकता है, न कि वाद निरस्त किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 256 सपठित धारा 207 के प्रावधानों की भी अनदेखी की है, जिसके अनुसार अधिनियम के तृतीय शिड्यूल के तहत राजस्व न्यायालय द्वारा सुनवाई योग्य ठहराया गया हो, उस मामलों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को ही है तथा तृतीय अनुसूची में स्पष्ट रूप से धारा 88, 53 व 188 के तहत मामले का श्रवणाधिकार राजस्व न्यायालय को दिया गया है एवं वादी का वाद इन्हीं अनुतोषों के लिए प्रस्तुत हुआ है, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है।

वसीयत पंजीकृत है जो प्रथम दृष्टया अपीलान्ट/वादी के पक्ष में वैध रूप से है, यदि इस वसीयत को कोई चुनौती देता है तो उसे सिविल न्यायालय में चाराजोही करनी चाहिए, परन्तु प्रतिवादीगण ने ऐसा नहीं कर मात्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के प्रार्थना पत्र के माध्यम से ऐतराज पेश कर उक्त रजिस्टर्ड वसीयत को चुनौती दी है, जो विधि सम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने वादी/अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों की अनदेखी करते हुए मात्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के प्रार्थना पत्र के आधार पर अपीलान्ट/वादी का वाद विधि वर्जित होना मानकर खारिज कियाा है, जो त्रृटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे तथा गुणावगुण पर सुनवाई कर निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण पुनः अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें 2023 Supreme 114 : 2023 0 Supreme (SC) 1194, 2018 0 Supreme (SC) 1265, 2015 0 Supreme (SC) 125, 2008 4 Supreme 204 : 2008 0 Supreme (SC) 720, 2007 7 Supreme 532 : 2007 0 Supreme (SC) 1320, 2019 3 Supreme 389 : 2019 0 Supreme (SC) 342, 2020 (2) RRT 750, 2020 (2) RRT 756, 2019 (1) RRT 116, 2019 (1) RRT 113, 2020 (1) RRT 271, 2018 (2) RRT 848, Judgment of

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.12 11:23:52 IST
Reason: SelfAttested

Supreme Court of India Geetha V/s Nanjundaswamy, AIR 2012 SC 3912, 2017 (4) DNJ 1792, 2018 (4) DNJ 1442, 2022 (2) DNJ 609, AIR 1979 (Raj) 142, 2006 AIR SCW 4323, AIR 1971 (Raj) 104, 2016 RRD 540 प्रस्तुत की।

उक्त बहस का खण्डन करते हुए विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि अपीलान्ट/वादी के वाद का मुख्य आधार वसीयत था, जो प्रथम दृष्टया कूटरचित होकर फर्जी वसीयत है, क्योंकि वसीयतकर्ता गेंदीबाई स्वयं के 6 पुत्रियां मौजूद थी, तो फिर वह अपनी पुत्रियों को छोड़कर अन्य को वसीयत क्यों करेगी ? जिससे उक्त वसीयत फर्जी व कूटरचित होना प्रथम दृष्टया साबित है। उक्त वसीयत को अपीलान्ट/वादी जब तक सक्षम सिविल न्यायालय से वेलिड घोषित नहीं करा लेते तब तक उक्त फर्जी वसीयत के आधार पर खातेदारी की घोषणा का वाद राजस्व न्यायालय में नहीं लाया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों की बहस सुनकर पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अपीलान्ट/वादी का वाद विधि वर्जित होना मानकर खारिज किया है, जो विधि सम्मत होने से अपील खारिज की जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें RBJ (26) 2019 HC Page 142, RBJ (22) 2015 HC Page 412, RRT 2009 (1) SC Page 685, 1998 0 Supreme (Raj) 105, 2006-07 RRT Page 227, RRT 2014 (1) Page 218, RRT 2024 (1) Page 25, Judgment Rajasthan High Court Narayan V/s Heera Lal, RRT 2014 (1) Page 696, AIR 1972 SC Page 2492, 2005 0 Supreme (Raj) 295, 2019 0 Supreme (MP) 681, RBJ (22) 2015 Page 412 प्रस्तुत की।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया तथा प्रस्तुत न्यायिक नजीरों का अवलोकन किया। जमाबन्दी संवत् 2069 से 2072 में वाद पत्र की कलम संख्या 1 (क) वर्णित आराजी नंबर 458 से 460, 462 से 467, 495 कुल किता 10 रकबा 3.8000 हैक्टर भूमि ऊंकारलाल पिता कालूलाल ब्राहमण के खातेदारी में दर्ज है तथा नामान्तरकरण संख्या 2237 दिनांक 09.05.2019 से ऊंकारलाल के बजाय वसीयत से 1/2 हिस्सा गेन्दीबाई पत्नी ऊंकारलाल तथा 1/2 हिस्सा राधाकिशन पुत्र कालुलाल ब्राहमण के नाम स्वीकृत है। पत्रावली पर दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.12 11:23:52 IST
Reason: SelfAttested

11.02.1988 की वसीयत संलग्न है, जिसके अनुसार ऊंकारलाल जी द्वारा उक्त भूमि के 1/2 हिस्से की वसीयत अपनी पत्नी गेन्दीबाई के नाम तथा 1/2 हिस्से की वसीयत अपने छोटे भाई राधाकिशन के नाम की जाना प्रकट होता है एवं इसी के आधार पर उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत होना जाहिर होता है। पत्रावली पर एक अन्य रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 30.07.2019 संलग्न है, जिसके अनुसार गेन्दीबाई द्वारा उक्त आराजियात में अपने 1/2 हिस्से की वसीयत अपने देवर अपीलान्ट/वादी राधाकिशन के पक्ष में की जाना प्रकट होता है एवं इसी के आधार पर अपीलान्ट/वादी द्वारा खातेदारी घोषणा का वाद प्रस्तुत किया गया है, किन्तु रेस्पोन्डेन्ट/प्रतिवादीगण ने उक्त वसीयत को फर्जी व कूटरचित होना बताते हुए ऐसी वसीयत के आधार पर खातेदारी घोषणा का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय का नहीं होना बताते हुए आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वादी का वाद मेन्टेनेबल नहीं होना बताते हुए खारिज करने का निवेदन किया है।

अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र पर उभयपक्षों को सुनकर अपीलान्ट/वादी का वाद इस आधार पर खारिज किया कि ''स्वर्गीय गेन्दीबाई के छः संताने होने के बावजूद किसी अन्य को वसीयत करने से वसीयत संदिग्ध प्रकट होती है इस कारण संदिग्ध वसीयत के आधार पर खातेदारी घोषणा का वाद मेन्टेनेबल नहीं है तथा वसीयत को वेलिड घोषित कराने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं होकर केवल दीवानी न्यायालय को ही है।'' अधिनस्थ न्यायलय का उक्त विवेचन विधि सम्मत है, क्योंकि इस संबंध में जो अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट द्वारा जो न्यायिक नजीर आर.आर.टी. 2006–07 (Supp.) पेज 227 प्रस्तुत की गयी है, उसके अनुसार वसीयत सही है अथवा फर्जी इसका निस्तारण केवल दीवानी न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है तथा उनके द्वारा प्रस्तुत अन्य नजीर हिन्दु विधि पेज 348 अनुसार वसीयत का लाभ लेने वाले व्यक्ति पर ही वसीयत को साबित कराने का भार होता है। इसी प्रकार आर.आर.टी. 2014 (1) पेज 218 अनुसार वसीयत के आधार पर सम्पत्ति में व उत्तराधिकार प्राप्त करने के लिए वसीयत के लाभार्थी को भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.12 11:23:52 IST
Reason: SelfAttested

की धारा 63 के प्रावधान अनुसार साबित कराना होता है। इस न्यायिक नजीर में यह भी उल्लेखित है कि वसीयतकर्ता द्वारा पत्नी व पुत्रियों को विरासत से वंचित किया गया है तथा प्राकृतिक वारिसान द्वारा उक्त वसीयत को अस्वीकार किया गया है तो वसीयत स्वतः ही संदेह के घेरे में आ जाती है। अधीनस्थ न्यायालय ने भी वसीयतकर्ता की छः पुत्रियां होते हुए किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में की गयी वसीयत को संदिग्ध माना है। उक्त न्यायिक नजीर के पेज 219 में प्रतिपादित सिद्धान्त अनुसार वसीयत जब किसी कारण से संदिग्ध हो तो उसके लाभार्थी को संदेह से परे साबित किया जाना आवश्यक है। इसी न्यायिक नजीर के पृष्ठ संख्या 220 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि वसीयत वारिसान व प्राकृतिक वारिसान के बीच उत्तराधिकार को लेकर विवाद हो तो वसीयतग्रहिता पर यह सिद्ध भार होता है कि वह वसीयत को धारा 63 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान अनुसार सद्भाविक व संदेह से परे साबित करे। वसीयत उस समय और भी संदिग्ध हो जाती है जबकि वसीयतकर्ता अपने कुछ प्राकृतिक वारिसान को उत्तराधिकार से वंचित करता है। अधीनस्थ न्यायालय ने भी अपने विवेचन में पुत्रियों के होते हुए अन्य व्यक्ति के पक्ष में की गयी वसीयत को संदिग्ध माना है तथा संदिग्ध वसीयत के आधार पर खातेदारी घोषणा का अधिकार राजस्व न्यायालय का नहीं मानते हुए वाद पोषणीय नहीं होने के आधार पर खारिज किया है, जो उक्त न्यायिक नजीरों की रोशनी में प्रथम दृष्टया विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना आवश्यक नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का प्रकरण संख्या 60/2023 निर्णय व डिक्री दिनांक 02.09.2024 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 19.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.12 11:23:52 IST
Reason: SelfAttested

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.12 11:23:52 IST
Reason: SelfAttested